

न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
{समक्ष-अमनदीपसिंह छाबडा}

आप0 प्रकरण क-607 / 2015
 संस्थित दिनांक 09.07.2015
फा.नं.234503006232015

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. मदनलाल कटरे पिता चोवाराम, उम्र 62 वर्ष,
 2. गोधनबाई पति मदनलाल कटर, उम्र 60 वर्ष,
 दोनो जाति पवार, निवासी लीलामेटा
 थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....आरोपीगण

-:: **नि र्ण य :-**
(24 / 10 / 2017 को घोषित)

(01) आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324 / 34, 506(भाग-2) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-22.04.2015 को रात्रि 09:00 बजे चौकी उकवा, थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम लीलामेटा में फरियादी अरुण गजभिये के घर के सामने रोड में लोकस्थान पर फरियादी अरुण गजभिये को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया, आहत अरुण कुमार गजभिये को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत अरुण कुमार गजभिये को धारदार दांतों से उसके दाहिने हाथ की भुजा में काटकर स्वेच्छया उपहति कारित कर फरियादी को संत्रास करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(02) संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक 22.04.15 की रात्रि में प्रार्थी अरुण गजभिये के साथ आरोपीगण द्वारा प्रार्थी को दांत से काटने की घटना की रिपोर्ट दिनांक 23.04.15 को लेख कराई गई। प्रार्थी का मुलाहिजा कराया गया। विवेचना दौरान आरोपी के विरुद्ध अंतर्गत धारा-324 भा.द. वि. का ईजाफा किया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का नजरी नक्शा, प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर अभिरक्षा पत्रक तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क्रमांक 71 / 15 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

(03) आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324 / 34, 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत अरुण कुमार गजभिये ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506(भाग-2) के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 / 34 भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

(04) आरोपी के विरुद्ध निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक-22.04.2015 की रात्रि 09:00 बजे चौकी उकवा, थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम लीलामेटा में फरियादी अरुण कुमार गजभिये को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत अरुण कुमार गजभिये को धारदार दांतों से उसके दाहिने हाथ की भुजा में काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

(06) फरियादी/आहत अरुण कुमार गजभिये अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना वर्ष 2015 की रात्रि 8:00 बजे ग्राम लीलामेटा की है। उसके चाचा संतोष की शादी आरोपीगण की भांजी से हुई थी, जो कि अन्य समाज की है। उक्त बात को लेकर घटना के समय आरोपीगण ने उससे विवाद किया था। गांव वालों की समझाईश पर उनका विवाद शांत हो गया था। घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन उसने उकवा चौकी में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिसवालों को घटनास्थल बताया था तथा पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी. 02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय वह घर के सामने टहल रहा था, तभी आरोपी मदनलाल आकर उसे बुरी-बुरी गालियां देने लगा तथा उसके मना करने पर धक्का-मुक्की करने लगा, तभी मदनलाल की घरवाली आई और बुरा-बुरा बोलते हुये उसके दाहिने हाथ की भुजा में दांत से काट लिया, लोगों द्वारा बीच-बचाव किया गया तथा आरोपीगण ने उसे जाते-जाते जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.03 पुलिस को देने से इंकार किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपीगण से मौखिक विवाद हुआ था तथा उसने उक्त बात ही पुलिस को बताई थी।

(08) अभियोजन साक्षी प्रियंका अ.सा.02 के कथन है कि वह आरोपीगण को जानती है, जो उसके मामा-मामी हैं। घटना दिनांक 21.04.2015 की रात्रि 8:00 बजे ग्राम लीलामेटा की है। उसकी शादी संतोष से हुई थी, जो कि अन्य समाज का है। उक्त बात को लेकर घटना के समय आरोपीगण ने उसके जेठ के लड़के अरुण के साथ विवाद किया था। गांव वालों की समझाईश पर उनका विवाद शांत हो गया था। घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन उसने उकवा चौकी में की थी। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपीगण दूसरे समाज के लोगों को गाली-गुफ्तार करते हुये निकल रहे थे तथा उसके पति को भी बुरा-बुरा बोल रहे थे, तभी अरुण ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, तब आरोपी मदनलाल ने उसे धक्का-मुक्की कर हाथ-मुक्कों से मारपीट की, इसी बीच उसकी बुआ भी आ गई और अरुण के हाथ में दांत से काट दिया, लोगों के बीच-बचाव करने पर आरोपीगण जाते-जाते जान से मारने की धमकी दे रहे थे। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.04 पुलिस को देने से इंकार किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसने पुलिस को बयान दी थी।

(09) फरियादी अरुण कुमार गजभिये अ.सा.01 एवं साक्षी प्रियंका अ.सा.02 ने स्वीकार किया कि वर्तमान में उनका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है और वह आरोपीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। फरियादी अरुण कुमार गजभिये अ.सा.01 एवं साक्षी प्रियंका अ.सा.02 घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, जिन्होंने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में

अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अरूण कुमार गजभिये को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी/आहत अरूण कुमार गजभिये को धारदार दांतों से उसके दाहिने हाथ की भुजा में काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः आरोपीगण मदनलाल कटरे एवं गोधनबाई को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

8— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

9— प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहे हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही / —
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सही / —
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट